तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
13.11.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश अन्तिम डिक्री हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुने एक माह से अधिक का समय हो चुका है। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस पुनः सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 04.12.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
04.12.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस पूर्व में एकपक्षीय सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए अवगत कराया कि पुराने कृषि भूमि खसरा नम्बर 304, 306 जिसके वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 845 से 853, 855 कुल किता 10 कुल रकबा 2.9500 हैक्टर तथा पुराने कृषि भूमि खसरा नम्बर 443, 444 जिसके वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 372 से 374 कुल किता 3 कुल रकबा 1.6200 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना मुकदमा दावा उनवानी हनुमान बनाम लालू वगै0 दावा बाबत इस्तकरार हक लालूराम, रामसुख पिता नारायण के जमीनी रिकार्ड से डिक्री आदेशानुसार हिस्सा 1/2 हणमान पुत्र मोटा के हुआ था। लेकिन उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 304, 306, 443, 444 का जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही एंव त्रुटियों के कारण रिकार्ड नहीं बदला गया। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना एंव नामान्तकरण संख्या 802 ... के पिता हणमान पुत्र मोटा के नाम लालूराम, रामसुख पि. ना. ... कौम जाट के स्थान पर मुताबिक फैसला 23.07.76 उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश दिनांक 08.08.77 के मुताबिक भरा गया था परन्तु उक्त नामान्तकरण संख्या 802 के आधार पर आगे जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज होने से छूट गई है। उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही के कारण हुई है। इसलिए उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.30 12:20:06 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय तस्दीकात [illegible]
	प्र० क्र० 136 [illegible]
	भूमियों में रामसुख पुत्र नारायण हिस्सा 1/8, लालूराम पुत्र नारायण हिस्सा 1/8 कुल हिस्सा 1/4 में से 1/2 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में हिस्सा 1/8 कुल हिस्सा 1/4 में से 1/2 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में 1/8 हिस्सा प्रार्थी के पिता हणमान पुत्र मोटा के नाम दुरूस्त किये जाने तथा नारायण पुत्र मोती के नाम दर्ज हिस्सा 1/6 में से 1/2 अर्थात कुल 1/12 हिस्सा दुरूस्त किये जाने व शेष हिस्सा बदस्तूर रखे जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। हमने वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 कुल 4, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2029 से 2032, 2033 से 2036, 2044 से 2047, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के दावा उनवानी हनुमान बनाम कालू वगै0 की आदेशिका की फोटोप्रति, नामान्तकरण संख्या 802, मृत्यु प्रमाण पत्र हणमान, बिदामी देवी, पटवारी हल्का मउ की रिपोर्ट दिनांकित 14.10.2024 तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1552/भू.अ./2025 दिनांक 23.05.2025 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना मुकदमा किस्म दावा उनवानी प्रकरण हनुमान बनाम लालू वगै0 दावा बाबत इस्तकरार हक में पारित निर्णय दिनांक 23.07.1976 में पारित किये गये आदेश की पालना में जमीनी रिकार्ड से डिक्री आदेशानुसार हिस्सा 1/2 हणमान पुत्र मोटा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश जारी होना प्रकट होता है। उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 304, 443, 444 का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होना प्रकट होता है। उक्त वादपत्र में न्यायालय उप[illegible] पारित निर्णय दिनांक 23.07.1976 की पालना से शे[illegible] की पालना इस न्यायालय से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 [illegible]स्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत करवाये जाने हेतु इस न्यायाल[illegible] को पेश किया जाना प्रकट होता है। उक्त निर्णय पारित किये जाने के उपरान्त नामान्तकरण संख्या 802 प्रार्थी के पिता हणमान पुत्र मोटा के नाम लालूराम, रामसुख पि. नारायण कौम जाट के स्थान पर मुताबिक फैसला 23.07.1976

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.30 12:20:06 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना व तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश दिनांक 08.08.1977 के मुताबिक भरा जाना प्रकट होता है परन्तु उक्त नामान्तकरण संख्या 802 के आधार पर आगे जमाबन्दी मे खातेदारी दर्ज होने से छूट जाना प्रकट होता है। उक्त निर्णय दिनांक 23.07.1976 पारित किये जाने के उपरान्त निर्णय मे दर्ज खसरा नम्बरान का भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट किये जाने से नवीन खसरा नम्बरान दर्ज रिकार्ड हो जाना प्रकट होता है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे भूमि खसरा नम्बर 306 मे सम्बन्धित न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकारो की घोषणा नहीं की गई है तथा ना ही निर्णय में कही उक्त खसरा नम्बर का कही अंकन किया जाना प्रकट होता है। वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 136 एल.आर. एक्ट के सलंग्न न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में बनाई गई डिकी की फोटोप्रति भी पेश नहीं की गई है तथा ना ही उक्त पारित निर्णय के विरूद्ध किसी अपीलीय न्यायालय में अपील इत्यादि किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी एंव वादपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि भी नहीं पेश की गई है। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट को बल मिलता हों। जहॉं तक न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय व डिकी जिसको वर्तमान में पारित किये लगभग 50 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है की पालना जरिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत करवाये जाने हेतु पेश किया गया है। जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आना नहीं पाया जाता है। किसी भी न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय व डिकी की पालना मियाद अवधि से बाहर होने तथा सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत पेश नहीं [illegible] जाने से इस स्तर पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2025.12.30 12:20:06 IST Reason: SelfAttested **–: कियात्मक आदेश :–** अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने उपखण्ड अधिकारी	

भगवान सहाय बनाम श्रीमाधोपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रा०पत्र 136 (8) A CT मु.नं. — I/2025

योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 04.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.30 12:20:06 IST
Reason: SelfAttested